



विधि-स्नातक, 1994.

प्रमाणित किया जाता है कि सन् 1994 में, परीक्षा के उपरांत विधि-स्नातक को उपाधि के योग्य सिद्ध होने पर मधु सूरि
को 1995 के दीक्षांत-समारोह में उक्त उपाधि प्रदान की गई ।

श्रेणी द्वितीय

University of Delhi

BACHELOR OF LAWS, 1994.

This is to certify that Madhus Suri
having been examined in 1994, and found qualified for the
degree of Bachelor of Laws was admitted to the said degree
at the Convocation held in 1995.

Division Second



Sivasan

कुल-सचिव,
दिल्ली विश्वविद्यालय
Registrar,
University of Delhi.

दिल्ली, दिनांक 6 अगस्त, 1995
Delhi, dated the 6 August, 1995

Vijendra Singh

कुलपति,
दिल्ली विश्वविद्यालय
Vice-Chancellor,
University of Delhi.